

Ref No. NPCC/PMGSY/2024-25/16

Date:-24/04/2025

To,
Divisional Forest Officer
Badrinath Van Prabhag, Gopeshwar
District- Chamoli

Subject: Construction of Tharali to Paingarh motor road- regarding compliance of the EDS

Ref 1) 8 बी /यू सी पी /06/54/2019/एफ सी /281 dated 31/05/2023

Dear sir,

It is to mention that regional office, ministry of environment, forest, climate change, govn. of india, has raised queries on the forest proposal of the above mentioned subject work. For the same, you have sought clarification on the point no. 3 and point no. 4 from us.

Point wise replies of the raised queries are as mentioned below:

Reply of point no.1- Revised CA estimate, prepared by forest department is attached with this letter (**Annexure 1**).

Reply of point no.2- Copy of notification of proposed CA area as RF/PF is attached with this letter (**Annexure 2**).

Reply of point no.3- In compliance of condition no-1 of stage-I approval, copy of mutation record is attached with this letter(**Annexure 3**).

Reply of point no.4- it is to mention that,during monsoon 2023-24 a huge landslide had developed in 200 meter length at km 6.00 of the above mentioned subject motor road. The landslide occurs from a height of 35 meter causing washout and blockage of the motor during rainy days in every monsoon season due to rolling down of huge muck from this height. This land slide zone is still active. Inspection of this landslide zone was done with forest department (photograph attached)

In addition to this, it is to mention that the motor road has been constructed along the surveyed alignment by the forest department. All the trees were marked and felled along this alignment prior to the construction. Due to clerical error, the incorrect KML is uploaded on the online portal (i.e parivesh.nic.in). correct alignment in the KML is attached herewith this letter.

Thanking you



Sr. Manager (C)
NPCC Limited
Uttarakhand Office
UP, Zone

CC:

02. Superintendent Engineer, PMGSY, Gopeshwar circle, H.O-Gauchar- for your information
03. Zonal Manager, NPCC Ltd, UK Zone- for your information

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना

1- परियोजना का नाम - जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत थराली से पैनगढ़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.812 है० वन भूमि का एन०पी०सी०सी०पी०आई०यू० थराली को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

2- वृक्षारोपण स्थल का नाम - ग्राम पैनगढ़ सिविल भूमि।

3- परियोजना का क्षेत्रफल है० में

9.624 ha

4- रोपित किये जाने वाले पौधों की कुल संख्या

9.624 x 1100 10586 No.

5- रोपित की जाने वाली प्रजातियां - बांज, कचनार, दाडिम, आंवला आदि

क्र.स.	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर		धनराशि (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7
प्रथम वर्ष (अग्रिम मृदा कार्य) :-						
1	साइट स्पेसिफिक प्लान (सर्वे डिमाकेशन, के०एम०एल० फाईल तैयार	9.624	ha	1118.00	ha	10759.63
2	क्षेत्र की सफाई (साधारण झाड़ियां)	5.500	ha	1908.06	ha	10494.33
3	दीवाल बन्दी कार्य/फैन्सिंग	311.818	cum	745.72	ha	232528.62
4	पौध की कीमत प्रथम	10586	no	19.00	no	201141.60
5	गद्दा खुदान कार्य (0.30 x 0.30 x 0.45) meter size	10586	no	12.48	no	132113.28
6	कन्टूर नाली का सीमांकन एवं खोदना व ड्रैसिंग (3.00x0.45 x 0.30) meter size	207.878	Cum	311.96	cum	64849.75
7	निरीक्षण बटिया	450.000	sqm	29.49	sqm	13270.50
प्रथम वर्ष का योग						665157.71
द्वितीय वर्ष (वृक्षारोपण कार्य) :-						
1	गड्डा भरण	10586	no	2.27	no	24030.22
2	पौध की कीमत	10586	no	5.02	no	53143.73
3	पौध रोपण	10586	no	4.54	no	48060.44
4	निराई गुड़ाई प्रथम बार	10586	no	3.12	no	33028.32
5	निराई गुड़ाई द्वितीय बार	10586	no	2.72	no	28793.92
6	खाद/रसायन	10586	no	0.35	no	3705.10
7	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 8 माह	9.624	ha	15814.00	ha	152193.94
8	साईन बोर्ड लगाना (3x4 फीट) सम्पूर्ण कार्य	9.624	ha	1000.00	ha	9624.00
द्वितीय वर्ष का योग						352579.66
तृतीय वर्ष :- अनुरक्षण कार्य						
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	9.624	ha	23721.00	ha	228290.90
2	10 प्रतिशत पौधों (2 वर्ष की पौध) की क्षतिपूर्ति (कीमत व ढुलान का मूल्य) वास्तविक क्षतिपूर्ति अनुसार मौके पर रोपण श्रमिक द्वारा किया जायेगा।	1059	no	42.17	no	44658.03
3	निराई गुड़ाई प्रथम बार	10586.00	no	3.12	no	33028.32
4	निराई गुड़ाई द्वितीय बार	10586.00	no	2.72	no	28793.92
योग तृतीय वर्ष -						334771.17
चतुर्थ वर्ष :-						
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	9.624	ha	23721.00	ha	228290.90
योग चतुर्थ वर्ष -						228290.90

क्र.स.	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर		धनराशि (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7
पंचम वर्ष :-						
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	9.624	ha	23721.00	ha	228290.90
	योग पंचम वर्ष -					228290.90
छठा वर्ष :-						
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	9.624	ha	23721.00	ha	228290.90
	योग छठा वर्ष -					228290.90
सातवां वर्ष :-						
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	9.624	ha	23721.00	ha	228290.90
	योग सातवां वर्ष -					228290.90
आठवां वर्ष :-						
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	9.624	ha	23721.00	ha	228290.90
	योग आठवां वर्ष -					228290.90
नौवां वर्ष :-						
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	9.624	ha	23721.00	ha	228290.90
	योग नवां वर्ष -					228290.90
दसवां वर्ष :-						
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	9.624	ha	23721.00	ha	228290.90
	योग दसवां वर्ष -					228290.90

सारांश

क्र० सं०	वर्ष	कुल व्यय (रुपये में)
1	प्रथम वर्ष	665157.71
2	द्वितीय वर्ष	352579.66
3	तृतीय वर्ष	334771.17
4	चतुर्थ वर्ष	228290.90
5	पंचम वर्ष	228290.90
6	छटा वर्ष	228290.90
7	सातवां वर्ष	228290.90
8	आठवां वर्ष	228290.90
9	नवां वर्ष	228290.90
10	दसवां वर्ष	228290.90
	कुल योग	2950544.87
	या	2950054.00


 वन क्षेत्राधिकारी
 मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
 बट्टीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत थराली से पैनगढ़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.812 है० वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड कर्णप्रयाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु जिलाधिकारी चमोली की पत्र सं० 1195/छब्बीस-31(2018-2019) दिनांक 26.11.2019 से ग्राम पैनगढ़, तहसील थराली खसरा सं० 276 रकवा 3.712 है० एवं खसरा सं० 1304 रकवा 1.808 है०, कुल 5.520 है० भूमि, नॉनजेडए श्रेणी-9(3)इ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि तथा खसरा सं० 2011 रकवा 1.874 है० व खसरा सं० 8382 रकवा 1.452 है०, एवं खसरा सं० 2383 रकवा 0.778 है०, कुल 4.104 है० नॉनजेडए श्रेणी 10(4) भीटा अर्थात् कुल है० 9.624 है० सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी है, अधिसूचना सं० 869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन की पत्र सं० 1506/14-2-97-800(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। उक्त भूमि का नामान्तरण आदेश राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है जिसे पुनः संरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।


प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत थराली से पैनगढ़ मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 4.812 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिह्नित 9.800 है० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव तकनीनकी अधिकारी(वानिकी), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं०-08बी/यू०सी०पी०/०६/५४/२०१९/एफ०सी०/७०४ दिनांक ०२.७.२०१९ की शर्त सं०-१ के अनुसार उप जिलाधिकारी थराली की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत थराली से पैनगढ़ मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली ४.८१२ है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम पैनगढ़, रा०उ०नि० क्षेत्र एवं तहसील थराली की सीमान्तर्गत चिह्नित ख०खा०सं०-२४ के खसरा सं०-२७६ रकबा ३.७१२ है०, खसरा सं०-१३०४ रकबा १.८०८ है० कुल ५.५२० है० भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-९(३) ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज है एवं ख०खा०सं०-३३ के खसरा सं०-२०११ रकबा १.८७४ है०, खसरा सं०-२३८२ रकबा १.४५२ है० एवं खसरा सं०-२३८३ रकबा ०.८११ है० भूमि मध्ये ०.७७८ है० कुल ४.१०४ है० भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-१०(४) भीटा के रूप में दर्ज है, अर्थात् कुल ९.६२४ है० सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं०-२१७३/XVIII(III) /२०१२-१८(१२०)/२०१० दिनांक १७, दिसम्बर २०१२ के अनुसार प्रदान की जाती है।

(स्वाति एस० मदौरिया),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: ८०१९ छबीस-३१ (२०१८-२०१९) गोपेश्वर: दिनांक: १६ अगस्त, २०१९

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
२. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
३. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-४ उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
४. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
५. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
६. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, थराली।
७. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
८. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
९. प्रबन्धक, एनपी०सी०सी० लि०, पी०एम०जी०एस०वाई०वॉर्स, पीआईयू, थराली।

A.E.
NPCC LTD.

A.E.
NPCC LTD.

जिलाधिकारी,
चमोली।

क्र.सं.	विवरण	1	2	3	4	5	6	7	8
1	अवधि 10 (3) :-	28	1.556						
2	अवधि 10 (4) :-	274	0.835						
3	अवधि 10 (5) :-	275	0.141						
4	अवधि 10 (6) :-	420	0.954						
5	अवधि 10 (7) :-	539	0.271						
6	अवधि 10 (8) :-	547	0.455						
7	अवधि 10 (9) :-	550	0.778						
8	अवधि 10 (10) :-	500	0.030						
9	अवधि 10 (11) :-	658	0.028						
10	अवधि 10 (12) :-	645	0.261						
11	अवधि 10 (13) :-	647	0.103						
12	अवधि 10 (14) :-	681	0.095						
13	अवधि 10 (15) :-	734	0.020						
14	अवधि 10 (16) :-	736	0.005						
15	अवधि 10 (17) :-	741	0.005						
16	अवधि 10 (18) :-	742	0.015						
17	अवधि 10 (19) :-	745	0.029						
18	अवधि 10 (20) :-	746	0.024						
19	अवधि 10 (21) :-	796	0.119						
20	अवधि 10 (22) :-	813	0.414						

अवधि 10 (3) :- अवधि 10 (4) :- अवधि 10 (5) :- अवधि 10 (6) :- अवधि 10 (7) :- अवधि 10 (8) :- अवधि 10 (9) :- अवधि 10 (10) :- अवधि 10 (11) :- अवधि 10 (12) :- अवधि 10 (13) :- अवधि 10 (14) :- अवधि 10 (15) :- अवधि 10 (16) :- अवधि 10 (17) :- अवधि 10 (18) :- अवधि 10 (19) :- अवधि 10 (20) :- अवधि 10 (21) :- अवधि 10 (22) :-

अवधि 10 (3) :- अवधि 10 (4) :- अवधि 10 (5) :- अवधि 10 (6) :- अवधि 10 (7) :- अवधि 10 (8) :- अवधि 10 (9) :- अवधि 10 (10) :- अवधि 10 (11) :- अवधि 10 (12) :- अवधि 10 (13) :- अवधि 10 (14) :- अवधि 10 (15) :- अवधि 10 (16) :- अवधि 10 (17) :- अवधि 10 (18) :- अवधि 10 (19) :- अवधि 10 (20) :- अवधि 10 (21) :- अवधि 10 (22) :-

A.E.
NPCCLTD.

अवधि 10 (3) :- अवधि 10 (4) :- अवधि 10 (5) :- अवधि 10 (6) :- अवधि 10 (7) :- अवधि 10 (8) :- अवधि 10 (9) :- अवधि 10 (10) :- अवधि 10 (11) :- अवधि 10 (12) :- अवधि 10 (13) :- अवधि 10 (14) :- अवधि 10 (15) :- अवधि 10 (16) :- अवधि 10 (17) :- अवधि 10 (18) :- अवधि 10 (19) :- अवधि 10 (20) :- अवधि 10 (21) :- अवधि 10 (22) :-

कालम - 17

क्र०सं०	परियोजना का नाम	याचक विभाग का नाम	परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल	भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या	दिनांक	वन भूमि सापेक्ष वन विभाग की दी जाने वाली चिह्नित सिविल सोयम भूमि का ग्राम वार विवरण	तहसील का नाम	वन विभाग कं पक्ष में हस्तान्तरित हेतु क्षेत्रफल हे० में	कुल योग	पट्टी	ग्राम सभा	हिन्हेत भूकिका खसरा नम्बर	सीमा विवरण			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	पी०एम०जी०एस० वाई० योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकास खण्ड थराली में थराली से पैगढ मोटर मार्ग का निर्माण स्टेज - I	एन० पी०सी०सी०	4.812 हे०	(एल०-०२२) पी०-17024 / 24 / 2017 - आर०सी० (एफ०एम०एस० 355978) दिनांक - 25/4/18	25.04.2018	पैगढ	थराली	9.624 हे०	9.624 हे०	पिंडर वार वल्ला	पैगढ	2382	चट्टान राज्य भूमि पिण्डर नदी नदी जंगल पैगढ नाला	राज्य भूमि राज्य भूमि नाम खेत राज्य भूमि उत्तराखण्ड डसरकार बजर राज्य भूमि मूल व राज्य भूमि	नाम खेत राज्य भूमि उत्तराखण्ड डसरकार बजर राज्य भूमि मूल व राज्य भूमि	नाम खेत राज्य भूमि उत्तराखण्ड डसरकार बजर राज्य भूमि मूल व राज्य भूमि
												2383	राज्य भूमि पिण्डर नदी जंगल पैगढ नाला	राज्य भूमि राज्य भूमि नाम खेत राज्य भूमि उत्तराखण्ड डसरकार बजर राज्य भूमि मूल व राज्य भूमि	नाम खेत राज्य भूमि उत्तराखण्ड डसरकार बजर राज्य भूमि मूल व राज्य भूमि	नाम खेत राज्य भूमि उत्तराखण्ड डसरकार बजर राज्य भूमि मूल व राज्य भूमि
												2011	राज्य भूमि पिण्डर नदी जंगल पैगढ नाला	राज्य भूमि राज्य भूमि नाम खेत राज्य भूमि उत्तराखण्ड डसरकार बजर राज्य भूमि मूल व राज्य भूमि	नाम खेत राज्य भूमि उत्तराखण्ड डसरकार बजर राज्य भूमि मूल व राज्य भूमि	नाम खेत राज्य भूमि उत्तराखण्ड डसरकार बजर राज्य भूमि मूल व राज्य भूमि
												1304	राज्य भूमि पिण्डर नदी जंगल पैगढ नाला	राज्य भूमि राज्य भूमि नाम खेत राज्य भूमि उत्तराखण्ड डसरकार बजर राज्य भूमि मूल व राज्य भूमि	नाम खेत राज्य भूमि उत्तराखण्ड डसरकार बजर राज्य भूमि मूल व राज्य भूमि	नाम खेत राज्य भूमि उत्तराखण्ड डसरकार बजर राज्य भूमि मूल व राज्य भूमि
												276	राज्य भूमि पिण्डर नदी जंगल पैगढ नाला	राज्य भूमि राज्य भूमि नाम खेत राज्य भूमि उत्तराखण्ड डसरकार बजर राज्य भूमि मूल व राज्य भूमि	नाम खेत राज्य भूमि उत्तराखण्ड डसरकार बजर राज्य भूमि मूल व राज्य भूमि	नाम खेत राज्य भूमि उत्तराखण्ड डसरकार बजर राज्य भूमि मूल व राज्य भूमि

महसुलदार

जयदेव शर्मा

NPCC LTD.

A.E. NPCC LTD.

J.E. NPCC LTD.

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत थराली से पैनगढ मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.812 है० का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना हेतु चयनित सिविल भूमि का विवरण।

क्र०सं०	भूमि का प्रकार	खेत न०	कुल रक्वा	चयनित क्षेत्रफल
1	चट्टान / उत्तराखण्ड सरकार	2382	1.452 है०	1.452 है०
2	चट्टान / उत्तराखण्ड सरकार	2383	0.810 है०	0.778 है०
3	चट्टान / उत्तराखण्ड सरकार	2011	1.874 है०	1.874 है०
4	बंजर / उत्तराखण्ड सरकार	1304	1.808 है०	1.808 है०
5	बंजर / उत्तराखण्ड सरकार	276	3.712 है०	3.712 है०
योग:-		—	—	9.624 है०

AAE

Assistant Engineer
Rural Works Department
P.M.G.S.Y
Division - Kamprayag

Executive Engineer
RWD PMGSY
Karanprayag

उपनिर्देशक
राज्य योजना विभाग
क्षेत्र - उत्तराखण्ड
तहसील - चमोली
जनपद - चमोली

तहसीलदार
तहसीलदार

उपनिर्देशक
उपनिर्देशक
थराली

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनु०-3 के शासनादेश सं०-883 (i)/x-3-2011-8(21)/2010 दिनांक 04 अक्टूबर 2011 के शासनादेश संख्या 2882/XVIII/11-18(120)/2010 दिनांक 11 नवम्बर 2011 के अनुसार थराली से पैनगढ मोटर मार्ग में अधिगृहीत सिविल भूमि की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक ~~2-12-17~~ का तहसील स्तरीय कमेटी के द्वारा किया गया। प्रस्तावित क्षेत्रफल ग्राम पैनगढ खाता खं०सं० 2382 रक्बा 1.452 है० 2383 रक्बा 0.814 है० म० 0.778 है० कुल भूमि 2.230 है०, खसरा सं० 2011 रक्बा 1.874 है० एवं 1304 रक्बा 1.808 है० कुल 3.682 है० एवं ख०सं० 276 रक्बा 3.712 है० कुल सम्पूर्ण भूमि 9.624 है० उपयुक्त है।

भूमि राज्य सरकार की श्रेणी 9 (3) ड में दर्ज कागजात है एवं सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज नहीं है।

प्रस्तावित क्षेत्रफल उक्त खसरा न० कुल अर्जित रक्बा 9.624 है० में क्षतिपूर्ति वृक्षा रोपण हेतु ग्राम पैनगढ सिविल भूमि पटवारी-थराली तहसील-थराली जिला चमोली की उक्त भूमि वन विभाग के हक में संस्तुति की जाती है।

DAE

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
पी०एम०जी०एस०आई०
उपखण्ड-कर्णप्रयाग

अधिशायी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड-कर्णप्रयाग

२०३० (२०७० बिसाल)
संस्कृत उप विरीकष.
वीर.....
तद्वीर.....
जगद्वीर-चमेली

तहसीलदार

तहसीलदार
धरमाला

उपजिल्हाधिकारी
उपजिल्हाधिकारी
थराली

मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बदीनाथ वन प्रमाण गणेश्वर

दायापट्टि जम खिंटोर व गैनी जम - पंजाब, २१० एकर २६६-०० गैनी
 नहर सिंचन - बाबाजी जिला - जम - १४२४^२ से १४२९ न०

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6594.138					
			6605.808					
	योग -	06	11.464 हेर					
	योग क्षेत्री 9(3) का -	06	11.464 हेर					
	क्षेत्री 9(3) का -							
	क्षेत्री 9(3) का -							
024- बजर			127 0.461 एमराम					
			128 0.023 -१-					
			135 0.025 -१-					
			136 0.013 -१-					
			137 0.055 -१-					
			138 0.005 -१-					
			178 0.015 -१-					
			276 3.712 सिंचन					
			284 0.023 -१-					
			345 0.025 -१-					
			351 0.005 -१-					
			357 0.030 -१-					
			358 0.030 -१-					
			546 0.010 सिंचन					
			684 0.003 एर ६ मली					
			685 0.005 -१-					

मामर
 २४४(१)

8	कृष्ण लाल	8146248 रिक्कादी कारी	25
		8300039 -11-	
		848 0.011 -11-	
		907 0.013 लुपारी	
5		1117 0.238 अमरी	30
		1140 0.128 लुपारी	
		1172 0.080 अमरी	
		1193 0.038 -11-	
		1210 0.010 -11-	
		1235 0.030 -11-	
10		1255 0.168 -11-	35
		1261 0.035 -11-	
		✓ 1304 1.808 -11-	
		1440 0.036 -11-	
		1443 0.004 -11-	
15		1503 0.041 अमरी	40
		1938 0.241 अमरी	
		1956 0.034 -11-	
		1988 0.276 -11-	
		1994 0.326 -11-	
20		1997 0.215 -11-	
		2015 0.015 अमरी	45

मूल्य 2000 (आर0ई0) 10 रा10 परिषद/407-1847248/1,00,000 फार्म (कम्प्यूटर / ऑफसेट)।

दीपिका
R. 2. 1. 64

मूलेख प्रपत्र सं० प-११

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
			2033	0040	काप				
			2040	0040	-n-				
			2046	0038	-n-				
			2058	0006	-n-				
			2313	0041	पारकी				
			2343	0055	-n-				
			2374	0003	-n-				
			अप-45	8.697	रु				

नोट:- दामाद का वि० २० रकम का है,

दिनांक २१/१२/२०१२

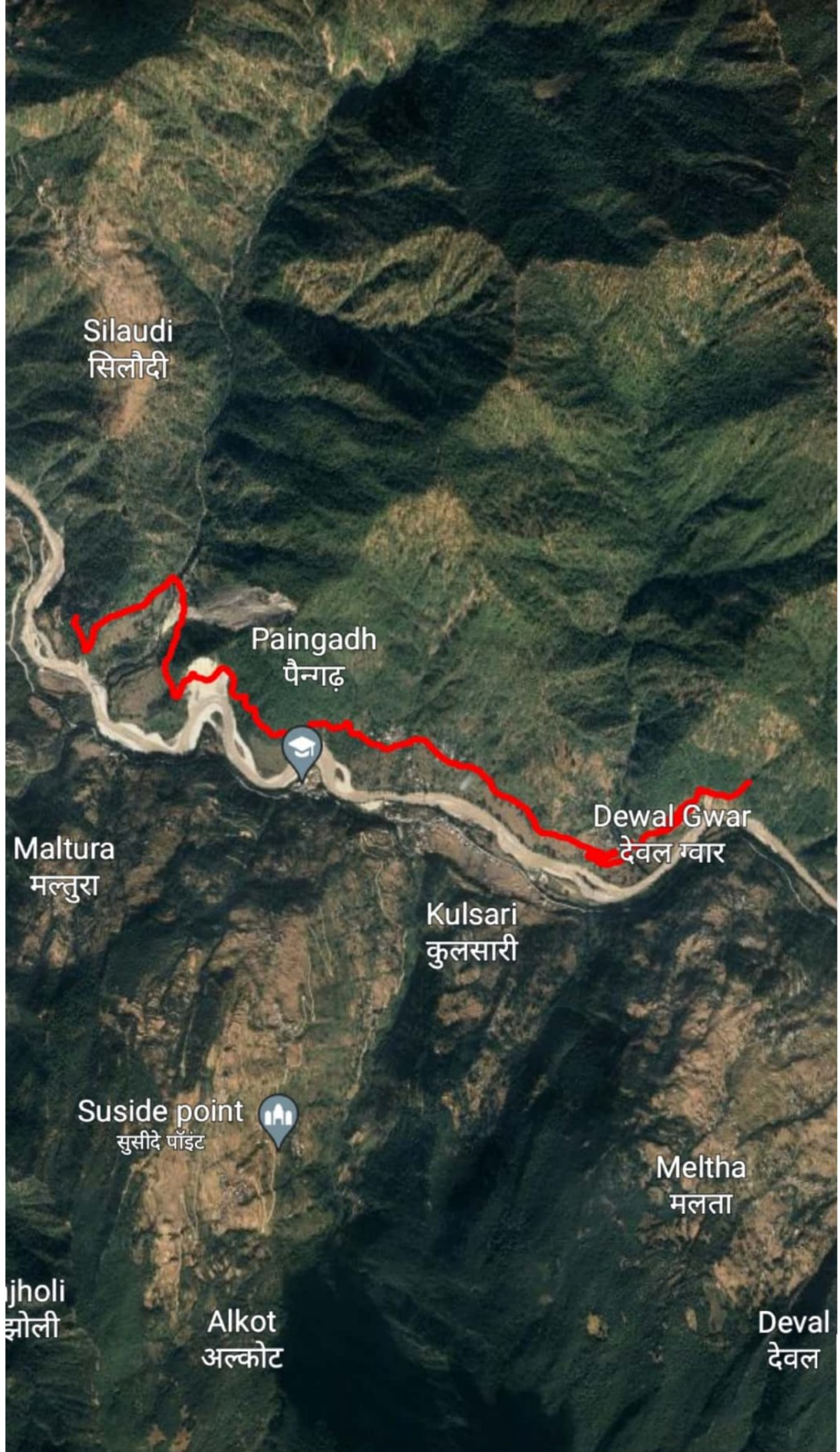
व. सं. ... वराली ...
व. सं. ... वराली ...

✓	2011	1.874		
	2013	0.403		
	2285	0.218		
	2300	0.120		
✓	2382	1.452		
✓	2383	0.811		
	योग-	25	9.45388	

नोट: . संकल/द्वारा कि २० खतनी आस सं १

दिनांक २१/१२/२०१७

पं० सं० ... अश्वनी
बहुसं ... अश्वनी
दिनांक-बमोदी



Silaudi
सिलौदी

Paingadh
पैनाढ़

Dewal Gwar
देवल ग्वार

Maltura
मल्लतुरा

Kulsari
कुलसारी

Suside point
सुसीदे पॉइंट

Meltha
मलता

jholi
झोली

Alkot
अल्कोट

Deval
देवल

संयुक्त निरीक्षण आख्या

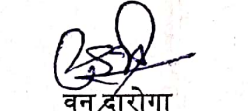
प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक संख्या 37/12-1/ के अनुपालना के क्रम में आज दिनांक 10/09/2024 को एन पी सी सी के कनिष्ठ अभियंता श्री प्रदीप सिंह व कनिष्ठ अभियंता श्री राहुल सिंह तथा वन विभाग से श्री रमेश चन्द्र भंडारी, वन दरोगा एवं श्री लक्ष्मी प्रसाद जोशी, वन रक्षक द्वारा थराली से पेनगढ़ मोटर मार्ग पर संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें मौके पर यह पाया गया कि मोटर मार्ग के किमी 06 में स्थित पहाड़ी से वृहद स्तर पर भूस्खलन होने से मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इस स्थान पर मानसून 2021 -2022 के दौरान भूस्खलन हुआ था एवं तब से बरसात के दौरान निरंतर पहाड़ी से मलबा गिरता रहता है।

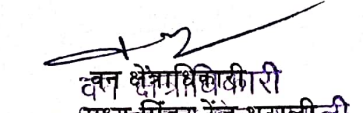
इसके अतिरिक्त निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि जिस सरेखण में छपान एवं कटान का कार्य किया गया है उसी सरेखण में मोटर मार्ग निर्माण का कार्य भी किया गया है। अतः मौके पर मोटर मार्ग के सरेखण में कोई भिन्नता नहीं पाई गयी है।

आख्या महोदय के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

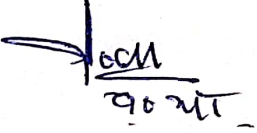

कनिष्ठ अभियंता
प्रयोक्ता एजेंसी


प्रबंधक
प्रयोक्ता एजेंसी


वन दरोगा
मध्य पिंडर रेंज थराली


वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिंडर रेंज थराली
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

PMGSY WORKS
NPCC Ltd. Chamoli (U.K.)


J. C. Singh
प्रयोक्ता

Ref no. NPCC/PMGSY/ 380

Date: 25/03/2025

सेवा में,
श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

विषय: जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत थराली से पैनगड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.812 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ: 8बी/यू0सी0पी0./0654/2019/एफ.सी./704 dated 14/10/2020/

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0 06/54/2019/एफ.सी./704 dated 02/07/2019 को कतिपय शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर दी गई थी। अधिरोपित शर्तों का बिंदुवार अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

क्र . सं	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 9.624 हे0 ग्राम पैनगंड सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षा रोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामांतरण किया जाएगा। भूमि के हस्तांतरण एवं नामांतरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी।	शर्त मान्य है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	शर्त मान्य है।
3	शुद्ध वर्तमान दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आशय की प्रयोक्त अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शर्त मान्य है।
	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गई सभी निधिया(CA Cost, NPV etc) को वेब पोर्टल पर Online generate किए गए चालन के माध्यम द्वारा उचित अनलाइन बैंक में जमा किये जाए,अन्य माध्यमों से जमा की गई धनराशि सैद्धांतिक स्वीकृति के अनुपालन के रूप में मान्य नहीं होगी।	शर्त मान्य है।
4	सड़क निर्माण के पश्चात जहां जहां सभत हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग के देख रेख में Strip plantation की जाएगी। इस आशय वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	उक्त बिंदु वन विभाग सम्बंधित है।
अन्य आवश्यक शर्तें		
बिन्दु संख्या I	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त मान्य है।
2	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा। प्रतिपूरक वृक्षा रोपण हेतु चयनित 9.624 हे0 ग्राम पैनगंड सिविल सोयम भूमि को 6 माह के अंदर भारतीय वन अधिनियम , 1927 के	शर्त मान्य है।

	अंतर्गत आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाएगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	
	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जाएगा।	शर्त मान्य है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का 4 फिट ऊँचे आर०सी०सी० पिल्लर लगाकर सीमांकन करेगा जिनपन forward एवं back bearing अंकित किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।	शर्त मान्य है।
6	परियोजना के निर्माण व रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र के वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जाएगी	शर्त मान्य है।
7	वन भूमि का प्रयोग में दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा तथा किसी भी परिसतिथि में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना transfer नहीं किया जाएगा।	
8	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 365 से अधिक न हो।	शर्त मान्य है।
9	सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा central verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग के देख रेख में strip plantation की जाएगी।	शर्त मान्य है।
10	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण परियोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मालवा निस्ताराण योजना के अनुसार प्रभागीय वन अधिकारी के देख रेख में किया जाएगा एवं निष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	शर्त मान्य है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण आई०आर०सी० मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	शर्त मान्य है।
12	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालयी/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	शर्त मान्य है।
13	यदि अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे। यदि विधिवत स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	शर्त मान्य है।

वरिष्ठप्रबंधक
एन पी सी सी
उत्तर प्रदेश जोन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इंदिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखंड को सूचनार्थप्रेषित

2जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थप्रेषित

3जोनल मैनेजर,एन.पी.सी.सी, उत्तराखंडजोन, देहरादूनको सूचनार्थप्रेषित



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

G20

पत्रांक-२५८९ / FP/UK/ROAD/27734/2017 : देहरादून: दिनांक 16 मई, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत थराली-पैनगढ मोटर मार्ग कि०मी० 7.00 से कि०मी० 11.725 तक के निर्माण हेतु 4.812 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं०-08बी/यू०सी०पी०/06/54/2019/एफ०सी०/704, दिनांक 02-07-2019।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में वरिष्ठ प्रबन्धक, पी०आई०यू०, एन०पी०सी०सी० लिमिटेड के पत्रांक NPCC/PMGSY/THARALI/11 दिनांक 01.05.2023 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :-

1. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण को उक्त शर्त मान्य है।
2. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण को उक्त शर्त मान्य है।
3. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण को उक्त शर्त मान्य है।
4. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा राई गयी क्षतिपूरक वृक्षारोपण लागत 29,50,054.00 की मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं (संलग्नक-1)
1. शर्त संख्या-5 शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की देय धनराशि रु० 40,66,140.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कराया जा चुका है। (संलग्नक-1 के अनुसार)
5. अन्य आवश्यक शर्त के अनुपालन में शर्त संख्या 01 एवं 12 तक प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है। (संलग्नक-3)
6. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रस्ताव की हार्ड प्रति मूल में पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय,

(एस०एस० रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या-२५८९ / FP/UK/ROAD/27734/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

(एस०एस० रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,



NATIONAL PROJECTS CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED
(A Govt. Of India Enterprises)
Uttarakhand Office, UP Zone, Dehradun

Ref No. NPCC/PMGSY/2024-25/379

Date:-25/03/2025

To,
Divisional Forest Officer
Badrinath Van Prabhag, Gopeshwar
District- Chamoli

Subject: Construction of Tharali to Paingarh motor road- regarding compliance of the EDS

Ref 1) 8 वी /यू सी सी /06/54/2019/एफ सी /281 dated 31/05/2023

Dear sir,

It is to mention that regional office, ministry of environment, forest, climate change, govn. of india, has raised queries on the forest proposal of the above mentioned subject work. For the same, you have sought clarification on the point no. 3 and point no. 4 from us.

Point wise replies of the raised queries are as mentioned below:

Reply of point no.1- Revised CA estimate, prepared by forest department is attached with this letter (**Annexure 1**).

Reply of point no.2- Copy of notification of proposed CA area as RF/PF is attached with this letter (**Annexure 2**).

Reply of point no.3- In compliance of condition no-1 of stage-I approval, copy of mutation record is attached with this letter(**Annexure 3**).

Reply of point no.4- In addition to this, it is to mention that the motor road has been constructed along the surveyed alignment by the forest department. All the trees were marked and felled along this alignment prior to the construction. Due to clerical error, the incorrect KML is uploaded on the online portal (i.e parivesh.nic.in). correct alignment in the KML is attached herewith this letter.

Thanking you

Sr. Manager (C)
NPCC Limited
Uttarakhand Office
UP, Zone



CC:

- 02. Superintendent Engineer, PMGSY, Gopeshwar circle, H.O-Gauchar- for your information
- 03. Zonal Manager, NPCC Ltd, UK Zone- for your information
- 04. Sr. Manager (engg.), NPCC Ltd, UK Zone for information

Ref No. NPCC/PMGSY/2024-25/379

Date: -25/03/2025

To,
Divisional Forest Officer
Badrinath Van Prabhag, Gopeshwar
District- Chamoli

Subject: Construction of Tharali to Paingarh motor road- regarding compliance of the EDS

Ref 1) 8 बी /यू सी पी /06/54/2019/एफ सी /281 dated 31/05/2023

Dear sir,

It is to mention that regional office, ministry of environment, forest, climate change, govn. of india, has raised queries on the forest proposal of the above mentioned subject work. For the same, you have sought clarification on the point no. 3 and point no. 4 from us.

Point wise replies of the raised queries are as mentioned below:

Reply of point no.1- Revised CA estimate, prepared by forest department is attached with this letter (**Annexure 1**).

Reply of point no.2- Copy of notification of proposed CA area as RF/PF is attached with this letter (**Annexure 2**).

Reply of point no.3- In compliance of condition no-1 of stage-I approval, copy of mutation record is attached with this letter(**Annexure 3**).

Reply of point no.4- In addition to this, it is to mention that the motor road has been constructed along the surveyed alignment by the forest department. All the trees were marked and felled along this alignment prior to the construction. Due to clerical error, the incorrect KML is uploaded on the online portal (i.e parivesh.nic.in). correct alignment in the KML is attached herewith this letter.

Thanking you



Sr. Manager (C)
NPCC Limited
Uttarakhand Office
UP, Zone

CC:

- 02. Superintendent Engineer, PMGSY, Gopeshwar circle, H.O-Gauchar- for your information
- 03. Zonal Manager, NPCC Ltd, UK Zone- for your information
- 04. Sr. Manager (engg.), NPCC Ltd, UK Zone for information



Latitude: 30.09782
Longitude: 79.445597
Elevation: 1200.49±100 m
Accuracy: 5.2 m
Time: 09-10-2024 12:31
Note: Pengarh

Powered by NoteCam



Latitude: 30.097478
Longitude: 79.445737
Elevation: 1201.99±69 m
Accuracy: 6.3 m
Time: 09-10-2024 12:39
Note: Pengarh

Powered by NoteCam